

17 DEC 2021

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलंगन)। अतः मतदान दिवस दिनांक 21.12.2021 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(डॉ. हर सहाय मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, लोकयुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 6017 दिनांक 30.11.2021 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिवगण।
11. संभ्रागीय आयुक्त अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ।
12. जिला कलक्टर बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

  
17/12/2021  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 17 DEC 2021

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के जिलों बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर में उप चुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः मतदान दिवस दिनांक 21.12.2021 (मंगलवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएँ।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ० हर सहाय मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 6029 एवं 6019 दिनांक 30.11.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. संम्भागीय आयुक्त अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर।
16. जिला कलेक्टर बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,4,5,6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

६

7105  
02/11/21

549 सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
प्राप्ति संख्या 2434  
दिनांक 02/11/2021

सामान्य प्रशासन, मीरमण्डल,  
राजस्थान सरकार, जयपुर  
एवं राज्य निर्वाचन विभाग

### राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/6017

दिनांक: 30/11/2021

शासन सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 - सार्वजनिक अवकाश के संबंध में।

DCOP  
02/11/2021

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरु, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 07.12.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 21.12.2021 को होगा। चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने का श्रम करें। इस संबंध में आपके द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति आयोग को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव

दिनांक: 30/11/2021

क्रमांक: एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/6018

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरु, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अशोक कुमार जैन  
उप सचिव

## राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उपचुनाव माह दिसम्बर, 2021 हेतु चुनाव कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	07.12.2021 (मंगलवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	13.12.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	13.12.2021 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
7	मतदान की तिथि	21.12.2021 (मंगलवार)
8.	मतदान का समय	प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर )	23.12.2021 (गुरुवार) प्रातः 9.00 बजे से
10	उपप्रधान का चुनाव	24.12.2021 (मंगलवार)
11	उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी	
1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो

दिनांक  
29/11/2021

## राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के माह दिसम्बर, 2021 में होने वाले उपचुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	उप-प्रधान
1	2	3	4	5	6
1.	बाडमेर	-	चौहटन	23	
2.	भीलवाड़ा	14	शाहपुरा	3	
3.	बूंदी	-	बून्दी	14	
4.	चुरू	-	राजगढ	14	
		-	तारानगर	3	
		-	सरदारशहर	2	उप-प्रधान
5.	दौसा	-	बैजूपाड़ा	16	
6.	डूंगरपुर	-	आसपुर	1	
7.	जयपुर	-	मोजमाबाद	-	उप प्रधान
		-	तुंगा	2	
8.	जैसलमेर	-	सांकडा	4	
9.	नागौर	-	खीवसर	17	
10.	प्रतापगढ़	-	दलोट	5	
11.	राजसमन्द	-	आमेट	12	
12.	उदयपुर	1	झल्लारा	2	
कुल		2		14	2

— सित्रा  
29/11/2021

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/6029

दिनांक: 30/11/2021

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

JS-61AD  
ग.र.

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उप  
चुनाव माह दिसम्बर, 2021 - चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

As-2 महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरु, दौसा, डूंगरपुर,  
जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला  
परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन  
की लोक सूचना दिनांक 07.12.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 21.12.2021 को  
होगा। चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

चुनाव कार्यक्रम की उक्त घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले  
अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता राज्य के संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति  
निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गई है, जिसकी पालना करवाना सुनिश्चित करवायें। आदर्श आचरण  
संहिता की प्रति संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव

7138  
आयसी क्रमांक 02/12/21  
शासन सचिव  
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल,  
संपदा, स्टेट मॉटर गैराल  
एवं नागरिक उद्बोधन विभाग

Surej  
mm  
03/12/21

(448)

## राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उपचुनाव माह दिसम्बर, 2021  
हेतु चुनाव कार्यक्रम

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	07.12.2021 (मंगलवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	13.12.2021 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	13.12.2021 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
7	मतदान की तिथि	21.12.2021 (मंगलवार)
8	मतदान का समय	प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक
9	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)	23.12.2021 (गुरुवार) प्रातः 9.00 बजे से
10	उपप्रधान का चुनाव	24.12.2021 (मंगलवार)
11	उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी	
1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो

दिनांक  
29/11/2021

449

परिशिष्ट-अ

## राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के माह दिसम्बर, 2021 में होने वाले उपचुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	उप-प्रधान
1	2	3	4	5	6
1.	बाडमेर	-	चौहटन	23	
2.	भीलवाड़ा	14	शाहपुरा	3	
3.	बूंदी	-	बूंदी	14	
4.	चुरू	-	राजगढ़	14	
		-	तारानगर	3	
		-	सरदारशहर	2	उप-प्रधान
5.	दौसा	-	बैजूपाड़ा	16	
6.	डूंगरपुर	-	आसपुर	1	
7.	जयपुर	-	मोजमाबाद	-	उप प्रधान
		-	तुंगा	2	
8.	जैसलमेर	-	सांकड़ा	4	
9.	नागौर	-	खीवसर	17	
10.	प्रतापगढ़	-	दलीट	5	
11.	राजसमन्द	-	आमेट	12	
12.	उदयपुर	1	झल्लारा	2	
कुल		2		14	2

- चित्रा  
29/11/2021



(5)

7106  
02/12/21

450

सामान्य प्रशासन (मुप-2) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
प्राप्ते संख्या... 2583  
दिनांक... 30/11/2021

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान  
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)  
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

एवं नमूना क्रमांक एफ. 7(2)(2) / पंचा / रानिआ / 2021 / 6019

दिनांक: 30/11/2021

प्रशासन सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

**विषय:-** पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 - स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के वाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम एवं चरणवार पंचायत समितियों का विवरण पत्र के साथ संलग्न है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गये हैं। आदर्श आचरण संहिता के भाग-7 की पालना सुनिश्चित करें। इस भाग-7 में वर्णित बिन्दुओं की पालना के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है:-

- माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
- माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
- माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाए।
- माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
- सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
- संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावे।

संलग्न-चुनाव कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता।

भवदीय,  
चित्रा  
(चित्रा गुप्ता)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव  
दिनांक: 30/11/2021  
डूंगरपुर,  
(अशोक कुमार जैन)  
उप सचिव

क्रमांक: एफ. 7(2)(2) / पंचा / रानिआ / 2021 / 6020  
प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), वाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

Suraj  
03/12/21

451

## राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उपचुनाव माह दिसम्बर, 2021 हेतु चुनाव कार्यक्रम

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	07.12.2021 (मंगलवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	13.12.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	13.12.2021 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
7	मतदान की तिथि	21.12.2021 (मंगलवार)
8.	मतदान का समय	प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर )	23.12.2021 (गुरुवार) प्रातः 9.00 बजे से
10	उपप्रधान का चुनाव	24.12.2021 (मंगलवार)
11	उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी	
1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य
7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सांय 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो

दिनांक  
29/11/2021

47

परिशिष्ट-अ

## राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के माह दिसम्बर, 2021 में होने वाले उपचुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	उप-प्रधान
1	2	3	4	5	6
1.	बाडमेर	-	चौहटन	23	
2.	नीलवाड़ा	14	शाहपुरा	3	
3.	बूंदी	-	बून्दी	14	
4.	जुना	-	राजगढ़	14	
		-	तारानगर	3	
5.	दौसा	-	सरदारशहर	2	उप-प्रधान
6.	डूंगरपुर	-	वैजूपाड़ा	16	
7.	जयपुर	-	आसापुर	1	
		-	मोजमाबाद	-	उप प्रधान
8.	जैसलमेर	-	तुंगा	2	
9.	नागौर	-	सांकड़ा	4	
10.	प्रतापगढ़	-	खीवसर	17	
11.	राजसमन्द	-	दलोट	5	
12.	उदयपुर	-	आमेट	12	
		1	झल्लारा	2	
	कुल	2		14	2

- चित्रा  
29/11/2021